



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 09.04.2026

थाना शिवली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए थाना शिवली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भेवान स्थित कम्पोजिट शराब के ठेके से चोरी करने वाले 05 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

अभियुक्तगण के कब्जे से 04 बोतल अंग्रेजी शराब, 61 हाफ अंग्रेजी शराब, 497 क्वार्टर अंग्रेजी शराब, 48 कैन बियर, चोरी किया गया डीवीआर मय स्क्रीन क्षतिग्रस्त स्थिति में, 02 कार, व 05 मोबाइल फोन हुए बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 03/04/2026 की रात्रि 10.00 बजे ग्राम भेवान स्थित कम्पोजिट शराब ठेके को सेल्समैन जय गोपाल बंद कर दिया गया। जिसके उपरांत 03/04.04.2026 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा दुकान का शटर तोड़कर अंग्रेजी शराब व बियर की चोरी कर ली गयी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 04.04.2026 को शराब की दुकान के मैनेजर श्री सुशील कुमार पुत्र कृष्ण कुमार निवासी ग्राम कुईत खेडा, थाना अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 135/2026 धारा 305/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात चोरों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया।

घटना का अनावरण- जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम/खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना शिवली पुलिस व सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा दिनांक 04.04.2026 को पंजीकृत मु0अ0सं0 135/2026 धारा 305/331(4) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुये थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा मुखविर खास की सूचना पर आज दिनांक 09.04.2026 को रात्रि में केसरी निवादा नहर पुल पर सघन चेकिंग करते हुये 02 कारों में सवार 05 अभियुक्तगण को गिरफ्तार व ग्राम भेवान शराब ठेके से चोरी की गयी शराब को बरामद किया गया। तलाशी में हुंडई और कार नं0 HR 38 AE 0763 में सवार 1. अजीत सिंह उर्फ छोटू पुत्र स्व0 भगवान सिंह निवासी ग्राम सजाबारपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात, 2. नीतू पुत्र मंशाराम निवासी बिलहा थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को तथा होण्डा सिटी कार नं0 DL8CNA 5574 पर सवार 3. नूर आलम उर्फ दुनकू पुत्र औसाफ अली निवासी ग्राम जोत थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात, 4. समीर खान पुत्र सलीम खान निवासी ग्राम सिठऊ थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात, 5. अभिषेक पुत्र धर्मेन्द्र निवासी ग्राम जोत थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को पकड़ लिया गया।

हुंडई और कार संख्या HR 38 AE 0763 में गाड़ी की पीछे वाली सीट पर 04 पेटियाँ व डिग्गी में 03 पेटियाँ शराब की रखी हुयी बरामद हुयी जिसमें जिनको खोलकर देखा गया तो पहली पेटि में रायल स्टैग के 47 क्वार्टर तथा दूसरी पेटि में रायल स्टैग के 47 क्वार्टर, तीसरी पेटि में मैकडावल नं0 1 के 46 क्वार्टर, चौथी पेटि में GR8 के 48 टेट्रा क्वार्टर, पांचवी पेटि में GR8 के 34 टेट्रा क्वार्टर, छठी पेटि में OAK के 47 क्वार्टर, सातवी पेटि में मजिक मोमेंट के 34 क्वार्टर तथा 03 फूटे क्वार्टर रखे बरामद हुये।

होण्डा सिटी कार संख्या DL8CNA5574 को चेक किया गया जिसकी डिग्गी में 10 पेटियाँ शराब रखी बरामद हुयी। जिनको खोलकर देखा गया तो पहली पेटि में B7 के 47 क्वार्टर, दूसरी में आईकोनिक के 48 क्वार्टर, तीसरी में रायल स्टैग के 23 हाफ, चौथे में GR8 के 48 टेट्रा क्वार्टर, पांचवी में GR8 के 48 टेट्रा क्वार्टर, छठी में 8PM के 14 हाफ, सातवी पेटि में 2 फुल बोतल 8PM और 2 फुल बोतल इम्पीरियल ब्लू, आठवी पेटि में B7 के 6 हाफ, आईकोनिक के 5 हाफ व ब्लेंडर प्राइड के 13 हाफ, नवी पेटि में 24 कैन बियर टूबर्ग, दसवी पेटि में 24 कैन बियर टूबर्ग के रखे हुए बरामद हुए।

इस प्रकार दोनों गाड़ियों से 04 बोतल अंग्रेजी शराब, 61 हाफ अंग्रेजी शराब, 497 क्वार्टर अंग्रेजी शराब, 48 कैन बियर बरामद हुये। बरामद शराब की बोतलों पर लगे लेबल को सटिजन एप्प के माध्यम से सत्यापित किया गया तो रिटेल शाप का नाम भेवान व शाप की आईडी 252645439 पाया गया।

पूछताछ अभियुक्तगण- पूछताछ के क्रम में सभी पाँचो व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि दिनांक 03/04.04.2026 की रात में अपने अन्य तीन साथियों 1. शहनवाज पुत्र सफी अली निवासी सिठऊ थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात, 2. ओमीन पुत्र औसाफ अली निवासी ग्राम जोत थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात, 3. भोलू उर्फ रफीक अली पुत्र मजीद निवासी मलखानपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात के साथ मिलकर योजना बनाकर रात्रि में भेवान अंग्रेजी ठेके के शटर को तोड़कर 25 पेटियों अंग्रेजी शराब व 3 पेटिया बियर की चोरी कर पकड़ी गयी गाड़ियों में लादकर ले जाना बताया गया। पहचान छुपाने के लिये व पकडे जाने के डर से ठेके के अंदर लगी डीवीर और एलईडी को भी चोरी करके ले गये व डीवीआर और एलईडी को तोड़कर भउवापुरवा गांव से

आगे नहर में एक सफेद प्लास्टिक की बोरी में भरकर फेंक देने की बात बतायी गयी। अभियुक्तगण द्वारा शराब ठेके के गल्ले में रखे ₹ 9000/- को आपस बाँटकर गाड़ियों में तेल व अपने खाने पीने में खर्च कर दिये जाने की बात बतायी गयी। जिस पर अभियुक्तगण की निशादेही पर चोरी गये डीवीआर व एलईडी को क्षतिग्रस्त हालत में बरामद किया गया। वादी मुकदमा व सेल्समैन को मौके पर बुलाकर शराब व चोरी गये डीवीआर व एलईडी की पहचान करते हुये पुष्टि की गयी। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये दिनांक 09.04.2026 को समय 03.40 बजे जायज हिरासत पुलिस में लेकर थाना हाजा पर दाखिल किया गया व पंजीकृत अभियोग में संकलित साक्ष्यों के आधार पर धारा 317(2)/238(क)/3(5) बीएनएस व धारा 60 आबकारी अधिनियम की बढोत्तरी की गयी। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. अजीत सिंह उर्फ छोटू उम्र 23 वर्ष पुत्र स्व0 भगवान सिंह निवासी ग्राम सजाबारपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
2. नीतू उम्र 24 वर्ष पुत्र मंशाराम निवासी बिलहा थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
3. नूर आलम उर्फ ढुनकू उम्र 24 वर्ष पुत्र औसाफ अली निवासी ग्राम जोत थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
4. समीर खान उम्र 22 वर्ष पुत्र सलीम खान निवासी ग्राम सिठऊ थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
5. अभिषेक उम्र 22 वर्ष पुत्र धर्मेन्द्र निवासी ग्राम जोत थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण-

1. 04 बोतल अंग्रेजी शराब
2. 61 हाफ अंग्रेजी शराब
3. 497 क्वार्टर अंग्रेजी शराब
4. 48 कैन बियर
5. चोरी किया गया डीवीआर मय स्क्रीन क्षतिग्रस्त स्थिति में
6. घटना में प्रयुक्त कार हुडई और नं0 HR 38 AE 0763
7. घटना में प्रयुक्त कार होण्डा सिटी नम्बर DL 8 CNA 5574
8. 05 अदद मोबाइल फोन
9. जामा तलाशी के 350 रुपये

अभियुक्त नीतू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 507/2025 धारा 115(2), 3(5), 351(3), 352, 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0 135/2026 धारा 305/331(4)/317(2)/238(क)/3(5) बीएनएस व धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना शिवली कानपुर देहात

अभियुक्त 1. नूर आलम उर्फ ढुनकू, 2. अजीत, 3. समीर खान, 4. अभिषेक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 135/2026 धारा 305/331(4)/317(2)/238(क)/3(5) बीएनएस व धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना शिवली कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली व सर्विलांस पुलिस टीम का विवरण-

1. सर्विलांस टीम मय प्रभारी निरीक्षक
2. उ0नि0 श्री अजय कुमार
3. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार
4. हे0का0 229 मोहित यादव
5. का0 1057 अंकुर
6. का0 1083 प्रेमशंकर
7. हे0का0 562 जय कृष्ण
8. का0 869 धनंजय चौधरी
9. का0 945 अभिषेक कुमार